रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940
No. 205] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHIATRA 12, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 322(अ).— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है जिन्हें उक्त धारा की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम, इन प्रारूप नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हैं तो उन्हें महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (संस्कृति मंत्रालय), 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली – 110001 को अथवा ई मेल directorgeneralasi@gmail.com द्वारा भेजे जा सकते हैं।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011 (इसमें इसके बाद प्रधान नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 4 में;

(i) उप नियम (6) में "वेबसाइट विकसित करेगा" शब्दों के बाद "और ऐसी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करने के लिए प्राधिकरण को भी प्रदान करेगा" शब्द अंत: स्थापित किए जायेंगे; और

(ii) उप नियम (7) में "प्राधिकरण" शब्द के बाद "और महानिदेशक" शब्द अत: स्थापित किए जायेंगे।

3. प्रधान नियमों के, नियम 20 में, उप नियम (2) में "इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा" शब्दों के बाद "और ऐसी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध करने के लिए प्राधिकरण को भी प्रदान करेगा" शब्द अत: स्थापित किए जायेंगे।

4. प्रधान नियमों के, नियम 21 में;

(i) उप नियम (1) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द अत: स्थापित किए जायेंगे।;

(ii) उप नियम (7) में "रुपरेखा के दस्तावेज में" शब्दों के बाद "अधिकतम 0.5 मीटर की अंतराल योजना सब ओर उन्नयन" और "खुली जगह, वृक्ष" शब्दों के बाद "उनकी विशेष जानकारी के साथ" शब्दों का लोप किया जायेगा।

(iii) उप नियम (8) में "स्वामी, कब्जाधरी, पट्टेदार, बंधक के नाम और पते, राजस्व भूखंड संख्या और वर्ग मीटर में उसका क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "अंकित करते हुए" शब्द स्थापित किए जायेंगे।

(iv) उप नियम (9) में "और चलचित्र" शब्दों का लोप किया जायेगा।

5. प्रधान नियमो में, पहली अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जायेगा, नामत:-

"प्रथम अनुसूची

[नियम 21 (1) देखें]

स्थल विन्यास तैयार करने के मानदंड :

संरक्षित क्षेत्र, प्रतिषिध्द और विनियमित क्षेत्र के लिए स्थल विन्यास तैयार करने के दौरान निम्नलिखित मानदंडो का पालन किया जायेगा और उन्हें सम्मिलित किया जायेगा।

(i) संरक्षित क्षेत्र में स्थित सभी संरचनाओं का मानचित्रण;

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन क्षेत्र में और अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित सभी संरचनाओं का मानचित्रण, उसके अधिसूचना द्वारा संरक्षित स्थिती के वाबजूद;

(iii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र या स्थानंतरित क्षेत्र का स्पष्ट अंकन;

(iv) स्थल विन्यास में सभी संरचनाओं का मानचित्रण;

(v) अन्य वास्तुएं जैसे तालाब, तटबंध, मिट्टी की किलाबंदी, प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, आदि को दर्शाया जाना चाहिए;

(vi) सड़कें और पादचारीपथ;

(vii) खुला क्षेत्र;

(viii) मलनिकासी पाइप लाइन, एक मीटर से ज्यादा चौडाई वाली बड़ी खुली नाली, नहरें, आदि;

(ix) जलापूर्ति लाइनें, जल संरचनाए, आदि।"

[फा. सं. 1/28/2016-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

प्रधान नियम दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सा.का.नि. 636 (अ) के द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2018

G.S.R. 322(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposed to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 in exercise of the powers conferred by the Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be effected thereby, and notice is hereby given that the said rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director General, Archaeological Survey of India (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or by email at directorgeneralasi@gmail.com.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the said period so specified, shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These Rules may be called as Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other functions of the Competent Authority) Amendments Rules, 2018

   (2) They shall come into the force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules);

   (i) in the sub-rule (6) after the words "publish its activities", the words "and also provide such information to the Authority for hosting the same on website" shall be inserted; and

   (ii) in the sub-rule (7) after the words "interaction with the Authority", the words "and the Director General" shall be inserted.

3. In the principal rules, in rule 20, in the sub-rule (2) after the words "similar information on its website", the words "and also provide such information to the Authority for hosting the same on website", shall be inserted.

4. In the principal rules, in rule 21;

(i) in the sub-rule (1) for the words "five years" the words "ten years" shall be substituted;

(ii) in the sub-rule (7) the words "contours, preferably at 0.5 meter intervals" after the words "comprise recording of", and words "all sides elevations" after the word "plan" and words "with detailed inventory" after the words "open spaces, trees" shall be omitted;

(iii) in the sub-rule (8) for the words "comprises of the name of the owner possessor, lessee, mortgage and address, area in square meter, revenue plot number and" the word "indicate" shall be substituted;

(iv) in the sub-rule (9) the words "and video" shall be omitted.

5. In the principal rule, for the First Schedule, the following shall be substituted, namely:-

"FIRST SCHEDULE

[See rule 21(1)]

Parameters for preparation of site plans :

While preparing a site plan for the protected area, prohibited and regulated areas, the following parameters shall be adhered to and incorporated:

(i) mapping of all structures in protected area;

(ii) mapping of all structures in the area under control of Archaeological Survey of India and acquired area; irrespective of its protection status by notification;

(iii) clearly indicating protected area and area acquired, transferred or under Archaeological Survey of India;

(iv) mapping of all structures on plan;

(v) others feature like tank, embankment, mud fortification, remnants of ancient structures, etc. should be shown;

(vi) roads and pathways;

(vii) open area;

(viii) sewerage pipe lines, big open drains with more than 1 meter width, canals, etc.

(ix) water supply lines, water works, etc."

[F.No.1/28/2016-M]
USHA SHARMA, Director General

The Principal Rules was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R.636(E) dated the 23rd August, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.04.05 11:10:14 +05'30'